न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 185 / 2021

अनवान : –

1. भादरराम पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
2. कालूराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर

– सायलान

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी नुंवा तहसील भादरा।
2. चन्द्रोदेवी पत्नी मदनलाल जाति जाट साकिन कणाउ तहसील भादरां।
3. विनोद देवी पत्नी भूपसिंह जाति जाट साकिन कणाउ तहसील भादरा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांक: 12/09/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर खाता संख्या 138 / 139 के खसरा नम्बर 102 / 1 की 0.8980 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 / 1 की 2.6560 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 440 / 1 की 2.4590 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 84 की 4.6160 हैक्टेयर कुल तादादी 10.6290 हैक्टेयर वाके रौही मौजा गोरखाना तहसील नोहर सायलान नम्बर 1 व 2 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है, आराजी जरई खाता संख्या 55 / 56 खसरा नम्बर 485 की 2.4620 हैक्टेयर वाके रौही मौजा गोरखाना तहसील नोहर गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 की खातेदारी भूमि है।

सायलान की कृषि भुमि वाके रौही मौजा गोरखाना के खसरा नम्बर 440 / 1 की व सायलान नम्बर 1 ता 3 की रौही मौजा गोरखाना के खसरा नम्बर 485 की कृषि भूमि में गैर सायल नम्बर 4 व दावा के प्रतिवादी नंबर 4 व 6 ने गोरखाना से लाखासर पक्की सडक निर्माण के लिए सन 1996 में राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम सन 1987 की धारा 9 के तहत अवाप्त कर सड़क का निर्माण कर दिया। सायलान की कृषि भूमि गैर सायल नम्बर 4 व दावा के प्रतिवादी नबर 6 द्वारा बनाई गई पक्की सडक के [illegible] दिशा में है तथा सायलान नम्बर 1 ता 3 की कृषि भूमि सडक के दक्षिण दिशा में [illegible] 1 ता 3 अपनी कृषि भूमि जो सडक के दक्षिण में सायलान की कृषि भूमि जो सडक के उत्तर में है जिसके सा[illegible] ने करीबन 50

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:49:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वर्षों से जोत जोत कर समतल कर रखा है तथा उक्त कृषि भूमि के चारों तरफ सींव डोल कायम है तथा उक्त सायलान की खातेदारी कृषि भूमि की सीमा में जबरन अपना हक जताकर सायलान नम्बर 1 ता 3 अवैध रूप से प्रवेश कर कब्जा करने पर उतारू है तथा काफी दफा यह विधि विरुद्ध कार्य कर चुके है परन्तु सायलान ने उन्हे सफल नहीं होने दिया है।

सायलान ने अपनी कृषि भूमि काश्त कर जोत जोत कर अच्छी तरह से उपजाऊ बना रखी है तथा मौका पर चने की फसल भी काश्त कर रखी है जो अच्छी उगी हुई है जिसे देखकर गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 का मन ललचा रहा है जो अवैध रूपसे सायलान की कृषि भूमि की सीमा (हद) में प्रवेश कर जबरन कब्जा करना चाहते है अगर गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही है तथा आयन्दा मुकदमेबाजी बढती है जिससे सायलान गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी है। सायलान ने गैर सायल नम्बर 4 व दावा के प्रतिवादीगण नंबर 4 व 6 से भी निवेदन किया कि आप द्वारा सन 1996 में गोरखाना से लाखासर के लिए सडक निर्माण किया गया जिसमें सायलान व गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 की कृषि भूमि आवाप्त की गई ऐसा गैर सायल नम्बर 4 व दावा के प्रतिवादीगण नंबर 4 व 6 ने माना है परन्तु गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 ने ऐसा मानने से इन्कार कर दिया। यलान ने अपनी कृषि भूमि काश्त कर जोत जोत कर अच्छी तरह से उपजाऊ बना रखी है तथा मौका पर चने की फसल भी काश्त कर रखी है जो अच्छी उगी हुई है जिसे देखकर गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 का मन ललचा रहा है जो अवैध रूपसे सायलान की कृषि भूमि की सीमा (हद) में प्रवेश कर जबरन कब्जा करना चाहते है अगर गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही है तथा आयन्दा मुकदमेबाजी बढती है जिससे सायलान गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी है। गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 सायलान की राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि के सीमा (हद) में प्रवेश कर अवैध कब्जा करने में सफल हो गये तो सायलान को धोर असुविधा होगी। इसलिये सायलान गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्ध करवा पाने के अधिकारी एवं दावेदार है कि गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 सायलान की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 440/1 की सीमा (हद) में प्रवेश कर कब्जा करने से निषिद्ध रहें।

गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 को इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा से ता फैसला दावा पाबन्ध फरमाया जावे कि गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 सायलान की कृषि भूमि की सीमा (हद) में जो वाके रौही मौजा गोरखाना तहसील नोहर खाता संख्या 139/139 के खसरा नम्बर 102/1 की 0.8980 हैक्टेयर व ख्त्रासरा नम्बर [illegible] 1 की 2.6560 हैक्टेयर खसरा नम्बर 440/1 की 2.4590 हैक्टेयर व [illegible] हैक्टेयर कुल तादादी 10.6290 290 हैक्टेयर है, में अवैध रूप से स्वयं या अपने आदमियों के जरिये प्रवेश कर जबरन कब्जा न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:49:27 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा गोरखाना के ख0न0 440/1 की 2.4590 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी, प्रार्थी की भूमि में मदाखलत बैजा न करे।

गैरसायलान 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की सायलान संख्या 1 ता 2 का ख0न0 अलग है तथा गैरसायल स0 1 ता 3 का ख0न0 अलग है। सायलान का सीव व डोल को लेकर गैरसायलान से कोई विवाद नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की सायलान संख्या 1 ता 2 का ख0न0 अलग है तथा गैरसायल स0 1 ता 3 का ख0न0 अलग है। सायलान का सीव व डोल को लेकर गैरसायलान से कोई विवाद नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर खाता संख्या 138/139 के खसरा नम्बर 102/1 की 0.8980 हैक्टर व खसरा नम्बर 392/1 की 2.6560 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 440/1 की 2.4590 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 84 की 4.6160 हैक्टेयर कुल तादादी 10.6290 हैक्टेयर वाके रौही मौजा गोरखाना तहसील नोहर सायलान नम्बर 1 व 2 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है, आराजी जरई खाता संख्या 55/56 खसरा नम्बर 485 की 2.4620 हैक्टेयर वाके रौही मौजा गोरखाना तहसील नोहर गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 की खातेदारी भूमि है रौही मौजा गोरखाना के खसरा नम्बर 440/1 की व सायलान नम्बर 1 ता 3 की रौही मौजा गोरखाना के खसरा नम्बर 485 की कृषि भूमि में गैर सायल नम्बर 4 व दावा के प्रतिवादी नंबर 4 व 6 के दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल किया जा रहा है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी के अलग अलग ख0न0 में भूमि दर्ज है कोई भी काश्तकार अपनी भूमि के उपयोग व उपभोग के लिए स्वतंत्र है इसलिए गैरसायल को पाबन्द किया जाना उचित नही है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया [illegible] न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के प[illegible] पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध [illegible] का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा तafैसला कन्फर्म [illegible] जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:49:27 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 08.12.2021 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/09/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुलें न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:49:27 IST
Reason: SelfAttested